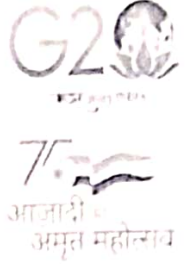




केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश
KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH
CBSE Affiliation No. : 3500034 School Code: 84070
दूरभाष Phone No. 0135 - 2973347
वेबसाईट/Website: <https://rishikesh.kvs.ac.in>
ईमेल/Email: kv_rishikesh1392@ gmail.com



F-1392350/2025-26/KVR

दिनांक: 30 जुलाई, 2025

सेवा में
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून, उत्तराखंड

विषय :- Ex Ex Post facto approval for diversion of 2.41 hectare forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand.

महोदय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा प्राप्त पत्र सं :-IRO-DDN/FRCM/01/2022 दिनांक 01.07.2025 के अनुसार दिनांक 24.06.2025 को वन भूमि प्रत्यावर्तन से सम्बंधित लंबित प्रस्तावों पर चर्चा हेतु पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक में यूजर एजेंसी को अपने प्रस्ताव को पुनः सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

नए प्रस्ताव को हमने Annexure 1 और Annexure 2 में प्रस्तुत किया है जो की इस पत्र के साथ संलग्न है।

Annexure 1 :- Ex Post facto approval for diversion of 2.41 hectare forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand.

Annexure 2 :- केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश की पृष्ठ भूमि

यह पत्र आपके सम्मुख सविनय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है।

प्राचार्या

प्राचार्य / प्राचार्या / Principal
के०वि०ऋषिकेश / K.V.Rishikesh

Annexure –I

परियोजना का नाम:- Ex Post facto approval for diversion of 2.41 hectare forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand.

प्रतिवेदन

1. **भूमिका :-** केन्द्रीय विद्यालय भारतमें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों एवं साधारण आर्थिक क्षमता वाले परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस की शुरुआत 1965 में हुई तथा यह तब से भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबन्धित है। इस समय भारत में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 1,128 अथवा इस से अधिक है। इस के अतिरिक्त विदेश में तीन केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित स्वायत्त संस्था केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश इसी संगठन का अंग है जो ऋषिकेश में वर्ष 1978 से समाज को अपनी सेवाएँ दे रहा है। प्रारंभ में यह IDPL(वीरभद्र) द्वारा संचालित था परन्तु IDPL (वीरभद्र) के अनुरोध पर वर्ष 2001 में इसे बंद कर दिया गया। बाद में यह विद्यालय वर्ष 2003-2004 में सिविल सेक्टर के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रयोजन पर पुनः खोला गया तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना है जिसका व्यय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जायेगा।

केन्द्रीय विद्यालय के उद्देश्य:- केन्द्रीय विद्यालयों के प्रमुख चार मिशन इस प्रकार हैं -

- I. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
 - II. विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना।
 - III. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना।
 - IV. बच्चों में राष्ट्रीय एकता और 'भारतीयता' की भावना का विकास करना।
2. **योजना / प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण :-** ये योजना पूर्ण रूप से केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था) द्वारा संचालित की जा रही है। माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री के पत्र दिनांक के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि उपलब्ध कराने की बात राज्य सरकार को लिखी गयी है। समस्त राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय

हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है। इस परियोजना की भूमि को IDPL (वीरभद्र) के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जारी किया गया है।

3. **योजना / प्रस्ताव का उद्देश्य :-** इस प्रस्ताव का उद्देश्य देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के IDPL (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में संचालित हो रहे केंद्रीय विद्यालय के पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तांतरण है ताकि नव भवन का निर्माण पूरी सुविधा एवं नव-मानकों के अनुरूप किया जा सके। इस विद्यालय में लगभग ११०० बच्चे अध्ययनरत हैं जिनमें सैन्य एवं साधारण आर्थिक क्षमता वाले परिवार के बच्चे ज्यादा संख्या में हैं (प्रवेश दिशानिर्देश संलग्न है)। इन परिवारों के बच्चों के लिए यह विद्यालय एक वरदान है। केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि हस्तांतरण के बाद संगठन के द्वारा इसमें नव भवन का निर्माण किया जाएगा एवं विद्यालय अपनी पूर्ण सुविधाओं के साथ जनता को समर्पित हो जाएगा।
4. **वित्तीय व्यवस्था/ योजना का बजट :-** इस परियोजना का बजट केंद्रीय विद्यालय संगठन (शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था) के नियमों के आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ही प्रदान किया जायेगा।
5. **समस्यायें जिनका समाधान होगा :-** इस भूमि के हस्तांतरण से केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा एवं वर्तमान विद्यार्थियों को पूर्ण गुणवत्ता युक्त नव विद्यालय भवन का लाभ मिल पायेगा साथ ही साथ भविष्य में अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा।
6. **योजना / परियोजना का औचित्य / सस्टेनेबिलिटी :-** केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश वर्ष 1978 से निरंतर वीरभद्र, ऋषिकेश एवं आसपास के समाज को अपनी सेवाएँ दे रहा है। केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन निर्माण होने से न केवल वर्तमान के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे बल्कि ऋषिकेश एवं इसके आस पास के क्षेत्र में एक बेहतरीन शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने में मदद मिलेगी एवं भविष्य में हजारों परिवारों के लिए एक सरल, सुगम एवं उचित दर पर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होगी।
7. **विद्यालय की वर्तमान स्थिति :-** वर्तमान में विद्यालय, IDPL (वीरभद्र) ऋषिकेश के द्वारा प्रदत्त भवन में चल रहा है, जिसका नव निर्माण किया जाना आवश्यक है परन्तु इस पर नव निर्माण कार्य करना नियमों के अधीन संभव नहीं है। वर्ष 2010 से 2016 के बीच विद्यालय भवन सुरक्षित न होने के कारण बंद होने की स्थिति में आ गया था परन्तु विद्यालय की प्राचार्या एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भवन की मरम्मत संभव हुई और विद्यालय बंद होने की स्थिति से उबर पाया। माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल की सांसद निधि से भवन की छत का मरम्मत कार्य किया गया एवं माननीय विधायक एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा विद्यालय की आंतरिक मरम्मत करवाई गई।

8. भूमि की उपलब्धता की स्थिति :- वर्तमान भूमि देहरादून वन प्रभाग के वीरभद्र के कक्ष संख्या 1 के अंतर्गत आती है और इसके लिए IDPL (वीरभद्र) क्रषिकेश के द्वारा वन विभाग को केन्द्रीय विद्यालय क्रषिकेश को भूमि हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वर्तमान भूमि का संयुक्त प्रारम्भिक सर्वेक्षण वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। वर्तमान विद्यालय भूमि 2.41 हे० की है एवं इसके चारों तरफ से 5 फीट की बाउंड्री वॉल का घेराव है तथा इसमें 116 पेड़ मिश्रित प्रजाति के हैं जिनका घातन नहीं किया जाना है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार विद्यालय भूमि के लिए कम कम 2.1 हे० (लगभग 5 एकड़) की आवश्यकता है बाकी के बचे हुए भूमि पर ग्रीन बेल्ट, कम्पोजिट पिट, औषधि बाग का निर्माण किया जायेगा।

9. रोजगार की संभावना :- नव भवन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 700 दिनों तक 200 कुशल /अर्ध कुशल लोगों को रोजगार मिलेगा।



प्रयोक्ता एजेंसी
प्राचार्य / प्राचार्या / Principal
के०वि० क्रषिकेश / K.V.Rishikesh



केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश
KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH
CBSE Affiliation No : 3500034 School Code: 84070
दूरभाष /Phone No.: 0135 2973317
वेबसाइट/Website: <https://rishikesh.kvs.ac.in>
ईमेल/E-mail: kvrishikesh.ppl@gmail.com

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

F-1392350/2025-26/KVR

दिनांक: 23 जुलाई, 2025

ANNEXURE-II

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश की पृष्ठभूमि।

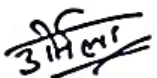
महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं।

- महोदय, आपको इस महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं कि विद्यालय की स्थापना वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट विद्यालय के रूप में हुई थी जिसका संचालन आई.डी.पी. एल के द्वारा हो रहा था। परन्तु बाद में आई.डी.पी.एल ने वर्ष 1996 में प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्याओं के कारण विद्यालय को प्रोजेक्ट क्षेत्र से परिवर्तित कर सिविल क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तान्तरित करने हेतु पत्राचार की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। (पत्र संलग्न है।)
- भूमि हस्तांतरण संबंधी सहमति न बनने के कारण विद्यालय को वर्ष 2001 में बन्द कर दिया गया था। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश से केन्द्रीय विद्यालय रायवाला स्थानान्तरित कर दिया गया था। परन्तु बाद में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं मानवसंसाधन विकास मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद इस विद्यालय का सिविल विद्यालय के रूप में दिनांक-29/03/2003 को आई.डी.पी.एल. कैम्पस ऋषिकेश में पुनः संचालन आरम्भ कर दिया गया था। (पत्र संलग्न है।)
- वर्ष 2003 में आई.डी.पी. एल के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को विद्यालय भूमि, भवन एवं स्टॉफ क्वार्टर सौंपने के संबंध में CPWD के मानकों के अनुसार एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसके अनुसार केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को 21 स्टॉफ क्वार्टर और विद्यालय भूमि भवन को हस्तांतरित करने के विषय में उल्लेख किया गया था। मसौदे के अनुसार 21 स्टॉफ क्वार्टर आवंटित करने पर सहमति बन गई थी परन्तु विद्यालय भूमि-भवन के हस्तांतरण पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं आई.डी.पी.एल के मध्य सहमति नहीं बन पाई थी। (पत्र संलग्न है।)
- सहमति न बनने का कारण यह था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार विद्यालय हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध होनी चाहिए थी। जिसका उल्लेख आई.डी.पी. एल. के द्वारा तैयार किए गए मसौदे में नहीं था।
- आई.डी.पी.एल. अधिकारियों के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को यह सुझाव दिया गया कि निःशुल्क भूमि की उपलब्धता हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से अनुमति हेतु पत्राचार करें। केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु उक्त मंत्रालय से पत्राचार किया गया।
- दिनांक 17/03/2015 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रदान कर दिया गया था। (पत्र संलग्न है।)

- केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश भी एक शैक्षणिक संस्थान है जिससे सामाजिक हित जुड़ा हुआ है अतः उक्त तथ्य को आभार मानकर विद्यालय को भूमि हस्तांतरित किए जाने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए।
- महोदय, केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। जो कि, कम शुल्क में उच्चगुणवतायुक्त तथा सरकार के द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस विद्यालय में वर्तमान में 1100 के लगभग छात्र अध्ययनरत हैं और यह विद्यालय वन विभाग की भूमि पर स्थित है। विद्यालय का संचालन न होने पर इन विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक सकता है।
- महोदय, भूमि आवंटित न होने के कारण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ नहीं की जा रही है।
- महोदय, विद्यालय-भूमि वन-विभाग की होने के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं विद्यार्थियों के हितार्थ विविध शैक्षणिक सुविधाओं के कार्यों पर खर्च नहीं कर पा रहा है।
- महोदय, उपरोक्त विषय से संबंधित सभी दस्तावेजों को पुनः आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर भावपूर्ण एवं सकारात्मक चिन्तन कर छात्रों के भविष्य, परिवारों की चिन्ता, क्षेत्र की प्रगति, विभाग एवं प्रशासन की गरिमामयी प्रतिष्ठा तथा वर्तमान सरकार की लोकहितैषिणी छवि को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को वन-विभाग से केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा करें।



(श्रीमती उर्मिला)

प्राचार्या/प्राचार्य

कं० नि० तीरमद्व ऋषिकेश।

